उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या- 77/2016/395(14)/38-1-2016-01 पदोन्नति/2015
लखनऊ: दिनांक: 06 मई, 2016

<u>विज्ञप्ति/पदोन्नति</u>

विज्ञप्ति/पदोन्नति विषयक पत्र संख्या- 1400/38-1-2013-3पदोन्नति/2012, दिनांक 21.05.2013 द्वारा वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 6600 में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव, खण्ड विकास अधिकारी, आगरा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त/उपायुक्त (श्रम/स्वत: रोजगार) (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 6600) के पद पर नियमित पदोन्नति के सहर्ष आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- पदोन्नति के वेतनमान के अनुरूप उक्त चिन्हित पद - जिला विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक/उपायुक्त/उपायुक्त (श्रम/स्वत: रोजगार) पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री यादव अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेगे।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-77/2016/395(14)(1)/38-1-2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(4) मण्डलायुक्त, आगरा ।
(5) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, आगरा ।
(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा ।
(7) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा ।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in